

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी 2014—पौष 17, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2014

अधिसूचना क्र. 1-एफ. 1-32-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगर परिषद् में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहवित्तकारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

जिले का नाम (1)	नगर परिषद् का नाम (2)	क्र. (3)	एल्डरमेन का नाम एवं पता (4)
भिण्ड	मौ	1	श्री राजीव जैन पुत्र श्री उग्रसेन जैन, वार्ड 9, सुरेश चौधरी के बाड़े के पास, नया बस स्टेण्ड मौ, तहसील गोहद, जिला भिण्ड.
		2	श्री सोमवीर शिवहरे पुत्र श्री विद्याराम शिवहरे, शिवहरे धर्मकांटा स्योडा रोड मौ, तहसील गोहद, जिला भिण्ड.
लहार	लहार	1	श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री राजकुमार, गुरुदेव बाबा कालोनी, वार्ड 9, लहार, जिला भिण्ड.
		2	श्री हेमंत त्रिपाठी पुत्र श्री अशोक त्रिपाठी, वार्ड 1, सर्किट हाउस के सामने लहार, जिला भिण्ड.
मिहोना	मिहोना	1	श्री अनिल बोहरे पुत्र डॉ. हरिबाबू बोहरे, पण्डा वाली गली, वार्ड 13, मिहोना, जिला भिण्ड.
		2	श्रीमती नीलम तिवारी पत्नी स्व. श्री मुकेश तिवारी, पुरानी सब्जी मण्डी नगरपालिका के सामने वार्ड 10, मिहोना, जिला भिण्ड.
अकोडा	अकोडा	1	श्री मुलायत सिंह यादव (मीनू) पुत्र श्री कालीचरण यादव, बड़ोसिया मोहल्ला, वार्ड 9, अकोडा, तहसील व जिला भिण्ड.
		2	श्री नरेन्द्र सिंह यादव (राजू) पुत्र श्री केशवसिंह यादव कुशरावन मोहल्ला, वार्ड 8, अकोडा, तहसील व जिला भिण्ड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.